Rohtas – J.M./19
G.R. 434/19

Court of S.D.J.M.
Dehri (Rohtas)

24.12.19 आवेदक अभियुक्त सच्चिदानन्द दुबे वकालतनामा के साथ आत्म समर्पण कर जमानत आवेदन प्रस्तुत करते हैं। आवेदन की प्रति विद्वान APO को दी गई है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। आवेदन पर हस्ताक्षर करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त निर्दोष है एवं कोई अपराध नहीं किया है। यह कि अभियुक्त का अग्रिम जमानत H.H.C. Patna के Cr. Misc. 81491/19 dt. 11.12.19 द्वारा स्वीकृत किया जाता है। अतः इन्हें बेल पर रिहा करने की अनुमति देने की कृपा प्रदान करें।

सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के क्रि०मि०० 81491/19 dt. 11.12.19 के आदेशानुसार उपरोक्त अभियुक्त का अग्रिम जमानत स्वीकृत किया गया है जो विदित समय सीमा के अंदर न्यायालय में आत्मसमर्पण करते हैं। अतः इन्हें बेल पर रिहा करने की अनुमति दी जाती है।

ह०/-
S.D.J.M. D.C.

24.12.19
बाद में

उपरोक्त आदेशानुसार आवेदक अभियुक्त सच्चिदानन्द दुबे की ओर से धारा 438 (2) Cr.P.C. के तहत दो जमानतदार 10,000 x 2 जमानतदार के साथ बेल पर दाखिल किया गया। जिसे जाँचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है।

ह०/-
S.D.J.M. D.C.